संख्या- 11/2026/ 139/सैतालीस-का-5-2026-(1838120)

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 4/2026/1251744/2026, दिनांक 26 फरवरी, 2026 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करने हेतु पर्याप्त समयावधि होने के उपरान्त भी दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक 47,816 कार्मिकों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका है।

2- तदपश्चात संबंधित कार्मिकों को चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करने हेतु दिनांक 26.02.2026 से दिनांक 10.03.2026 तक एक अतिरिक्त अवसर निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किया गया है :-

(I) जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि दिनांक 31.01.2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. उक्त कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाए।
2. उक्त कार्मिकों की वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार न किया जाए।
3. उक्त कार्मिकों को इस वर्ष ACP न दिया जाए, यदि उनको इस वर्ष ACP देय हो।
4. उक्त कार्मिकों को विदेश यात्रा, प्रतिनियुक्ति आदि हेतु Vigilance clearance न दी जाए।

(II) कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचना अपलोड न करने के उपरान्त भी यदि जनवरी, 2026 का वेतन आहरित हुआ हो तो, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3- उक्त के क्रम में विभिन्न स्तरों से की गयी जिज्ञासा के क्रम में स्पष्ट करना है कि निर्धारित अवधि दिनांक 31.01.2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले कार्मिकों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के संबंध में शासनादेश दिनांक 26.02.2026 के प्रस्तर-3(1)(4) में विदेश यात्रा के संबंध में प्राविधानित प्रतिबंध शासकीय व्यय पर विदेश यात्रा के संबंध में प्रभावी होगा, न कि निजी व्यय पर। निजी व्यय पर विदेश यात्रा के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी पूर्व शासनादेश दिनांक 14.06.1999, दिनांक 18.12.2000, दिनांक 20.11.2001 एवं दिनांक 18.05.2012 के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

कृपया उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

(एस०पी० गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि ई-ऑफिस डैसबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहें।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
13. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in